

11  
श

पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92A) एड एक्ट के तहत  
 प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के तहत वकील श्री डेवेन्द्र कुमार जैन  
 ने केस में सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2)  
 सी.पी.सी. के तहत वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र  
 दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब  
 किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.3.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 नैनवी (बून्दी)

9.3.21

वकील वादी ने वादी की उपस्थिति में  
 प्रार्थना पत्र वास्ते बाद बिट्टी किये जाने  
 हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र वास्ते बाद  
 बिट्टी किये जाने पर वादी एवं वकील  
 वादी को सुना गया। वादी द्वारा प्रार्थना  
 पत्र में निवेदन किया गया कि वादीगण  
 व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया  
 है और वादी पुरकरण को आगे नहीं  
 चलाना चाहते हैं अतः वाद पत्र में अब  
 कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से वाद  
 खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर  
 से काम की जाकर दफ्तर दारखिल है।

उपखण्ड अधिकारी  
 नैनवी (बून्दी)

